



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA



आरबीआई/2024-25/68

विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25

22 अगस्त 2024

सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

“कूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "कूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है।

भवदीया,

(लता विश्वनाथ)

मुख्य महाप्रबंधक